Part IV Compulsory retirement of Govt. servants under Rule 74 (6) of the Bihar Service Code.

ज्ञाप संख्या ३/ आर०—१-१०१/७३ का०—५९४२
बिहार सरकार,
नियुक्ति विभाग।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।

पटना-१५, दिनांक ३० चैत्र, १८९५ (श) / २० अप्रील, १९७३।

विषय :— बिहार सेवा संहिता के नियम ७४ (ख) के अधीन ३० वर्ष की अर्हक सेवा अथवा ५० वर्ष की आयु प्राप्त सरकारी सेवकों की सेवा निवृत्ति-प्रक्रिया एवं मापदण्ड।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग द्वारा ज्ञापित राजकीय अधिसूचना संख्या ३ / एफ-१-५०६ / ७२—८२७-बि०, दिनांक १२ फरवरी, १९७३ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि बिहार सेवा संहिता के संशोधित नियम ७४ (७४) (ख) के अधीन लोकहित में सम्बद्ध नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी सेवक को, ३० वर्ष की अर्हक सेवा अथवा ५० वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर तीन माह की पूर्व सूचना देकर सरकारी सेवा से निवृत्त करा सकते हैं।

२. इस प्रयोजनार्थ उपान्त में उल्लिखित पूर्व के आदेशों को विलोपित करते हुए, सरकार ने निम्नांकित प्रक्रिया और मापदण्ड निर्धारित किया है :—

(१) ज्ञाप सं० २६७३, दि० २० फरवरी, १९६९ (२) ज्ञाप सं० ९२९०, दि० १ली जुलाई, १९६९ (३) ज्ञाप सं० १५७५७, दि० २९ अक्तूबर, १९६९ (४) ज्ञाप सं० १५०५३, दि० १६ अगस्त, १९७२ (५) ज्ञाप सं० १६१७२, दि० २ सितम्बर, १९७२	(i) क्रमशः आगामी जुलाई और जनवरी को शुरू होनेवाले अर्द्ध वर्ष में, प्रत्येक वर्ष दो बार जुलाई और जनवरी माह में उन सभी सरकारी सेवकों की सेवा में बने रहने की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए समीक्षा की जाय, जो ३० वर्ष की अर्हक सेवा अथवा ५० वर्ष की आयु पूरी करनेवाले हों।

३. उपर्युक्त समीक्षा के लिए निम्नलिखित समितियाँ गठित की जायं :—

(i) बिहार असैनिक सेवा एवं बिहार कन्नीय असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की समीक्षा हेतु समिति में मुख्य सचिव, सदस्य, राजस्व पर्षद, विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव (यदि हों) एव सचिव, कार्मिक विभाग रहेंगे।

(ii) शेष सभी राज्य सरकार की सेवाओं की समीक्षा हेतु समिति में मुख्य सचिव या सम्बन्धित प्रधान सचिव, प्रशासी विभाग के सचिव एवं विभागाध्यक्ष रहेंगे।

(iii) यदि कोई सरकारी पदाधिकारी किसी संवर्ग के न हों पर वे राजपत्रित हों तो उनकी समीक्षा हेतु गठित समिति में प्रशासी विभाग के सचिव, विभागाध्यक्ष एवं विभागीय उप-सचिव / संयुक्त सचिव या अपर सचिव में से कोई एक रहेंगे।

(iv) अराजपत्रित कर्मचारियों एवं ऐसे पदाधिकारी जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं होती है, के सम्बन्ध में समीक्षा सम्बद्ध नियुक्ति पदाधिकारी अपने द्वारा गठित ऐसे पदाधिकारियों की समिति की सहायता से, जिन्हें वे उपयुक्त समझें, स्वयं करेंगे, किन्तु बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट १ के मद संख्या ९ "ए" के अनुसार उस पर विभागाध्यक्ष का आदेश प्राप्त करें। विभागाध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध सरकार में अपील अनुमान्य नहीं होगी। फिर भी सरकार अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश से सम्बन्धित कागजात को पुनर्विलोकन के प्रयोजनार्थ किसी भी समय मांग सकती है एवं उस पर यथोचित आदेश दे सकती है। पर विभागाध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अभिवेदन, यदि अनिवार्य सेवा निवृत्ति के

आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक महीने के अन्दर नहीं प्राप्त हुआ रहे, तो इस पर सामान्य रूप से सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया जायगा और विभागाध्यक्ष का आदेश यथावत लागू रहेगा।

उदाहरणार्थ, जिला दण्डाधिकारी कई श्रेणियों के अराजपत्रित कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी हैं। वे ऐसे कर्मचारियों की समीक्षा के लिए जो समिति गठित करेंगे उसमें वे स्वयं, अपर समाहर्त्ता एवं जिला विकास पदाधिकारी रहेंगे। उसी प्रकार अधीक्षण अभियन्ता जिन अराजपत्रित कर्मचारियों के नियुक्ति पदाधिकारी हैं, उन कर्मचारयों के लिए जो समिति गठित की जायगी उसमें उनके (अधीक्षण अभियन्ता के) अतिरिक्त, दो ऐसे पदाधिकारी रहेंगे जो कार्यपालक अभियन्ता की पंक्ति के नीचे के न हों। ऐसे दो पदाधिकारियों का मनोनयन अधीक्षण अभियन्ता स्वयं करेंगे। पुनः उसी प्रकार उद्योग उप-निदेशक जिन अराजपत्रित कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी हैं उन कर्मचारियों के लिए जो समीक्षा समिति गठित की जायेगी उसमें उनके (उप-निदेशक के) अतिरिक्त, जिला विकास पदाधिकारी एवं एक जिला उद्योग पदाधिकारी रहेंगे। जिला उद्योग पदाधिकारी का मनोनयन उद्योग उप-निदेशक करेंगे। आदेश निर्गत करने के पूर्व जिला दंडाधिकारी प्रमण्डलीय आयुक्त का, अधीक्षण अभियन्ता मुख्य अभियन्ता का तथा उद्योग उप-निदेशक उद्योग निदेशक का आदेश प्राप्त कर लेंगे। अन्य सम्बद्ध नियुक्ति प्राधिकारी इसी आधार पर समीक्षा समिति गठित करेंगे।

(v) सरकार के सभी विभाग एवं सभी नियुक्ति प्राधिकारी अपने अधीन काम करनेवाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में एक पंजी रखेंगे जिसमें प्रत्येक का नाम और उनकी जन्म तिथि अंकित रहा करेगी ताकि जैसे ही कोई पदाधिकारी/कर्मचारी ४९ वर्ष की आयु पूरी कर लें तो उनके सम्बन्ध में विहित समीक्षा की जा सके।

(vi) सरकार के सभी विभाग एवं नियुक्ति पदाधिकारी ऐसे सरकारी सेवकों (राजपत्रित एवं अराजपत्रित) की सूची जो ३० वर्ष की अर्हक सेवा या ५० वर्ष की आयु पूरी करने जा रहे हैं, ६ महीने पूर्व निगरानी विभाग को भेजेंगे ताकि उक्त सूची में उल्लिखित सरकारी सेवकों के आचरण और ख्याति के सम्बन्ध में निगरानी विभाग अपना प्रतिवेदन दे सकें।

४. सम्बन्धित विभाग पदाधिकारियों की अद्यतन चरित्र-पुस्ति एवं उनके आचरण और सामान्य ख्याति पर निगरानी विभाग का प्रतिवेदन, अगर कोई हो, समीक्षा समिति के सम्मुख रखेंगे :—

(i) अगर समीक्षा में पाया जाय कि कोई सरकारी सेवक कार्य में अदक्ष हो गया है या अन्य कारणों से सरकारी सेवा में रखने योग्य नहीं रह गया है तो प्रशासी विभाग तुरत समीक्षा समिति की अनुशंसा पर, राजपत्रित पदाधिकारी के मामले में सरकार का और सम्बन्धित नियुक्ति पदाधिकारी अराजपत्रित पदाधिकारी के मामले में विभागाध्यक्ष का, आदेश प्राप्त करेंगे।

(ii) अगर समिति को यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि किसी पदाधिकारी की निष्ठा संदिग्ध है तो समिति बगैर इसका विचार किये कि, वह पदाधिकारी काम के योग्य एवं कुशल है उसकी असामयिक सेवा निवृत्ति की अनुशंसा करे।

(iii) जहां किसी पदाधिकारी की निष्ठा संदेग्ध नहीं है पर उसकी शारीरिक अथवा मानसिक अवस्था ऐसी है कि जिससे वह और आगे सरकारी सेवा करने योग्य नहीं रह गया हो तो भी समीक्षा समिति को उस पदाधिकारी की असामयिक सेवा निवृत्ति की अनुशंसा करनी चाहिए। ऐसे मामलों में सरकार अथवा विभागाध्यक्ष, यथास्थिति, अमुक पदाधिकारी को सलाह देंगे कि वे बिहार सेवा संहिता के नियम ७४ (ख) (i) में उपलब्ध सुविधा के अनुसार सेवा निवृत्ति हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करें। नियम ७४ (ख) (ii) के अन्तर्गत सरकार अथवा विभागाध्यक्ष की ओर से सरकारी सेवा से निवृत्त कराने की औपचारिक कार्रवाई तभी शुरू की जाय जब सम्बन्धित सरकारी सेवक उपर्युक्त सलाह का अनुसरण न करें।

(iv) अगर समीक्षा के दौरान यह पाया जाय कि अमुक सरकारी सेवक, यद्यपि निचले पद पर कार्य-कुशल रहे हों किन्तु ऊँचे पद के उत्तरदायित्व संभालने के योग्य साबित नहीं हुए हों, या ऐसा प्रकाश में आए कि अगले पाँच वर्षों में उनके द्वारा धारण किये जाने वाले ऊँचे पद के सभी दायित्वों को कुशलतापूर्वक वे संभाल नहीं पायेंगे, तो वैसी स्थिति में उनकी सेवा निवृत्ति की अनुशसा की जानी चाहिए।

(v) जब एक बार किसी सरकारी सेवक को ५० वर्ष की आयु के बाद भी सेवा में बने रहने देने का निर्णय लिया जाता है तब उन्हें बिना पुनः समीक्षा के ५५ वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने दिया जायगा।

इसके बारे में पुन: समीक्षा तभी की जायेगी जब इसके लिए विशेष कारण हो, यथा, बाद में उनके कार्य एवं आचरण में अथवा शारीरिक स्वास्थ्य में ह्रास जिसके चलते समय से पूर्व उन्हें सेवा निवृत्त कराना अभीष्ट हो। राज्य सरकार यह महसूस करती है कि जब ५० वर्ष की आयु प्राप्त करने पर किसी पदाधिकारी को सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाती है तो उनके सम्बन्ध में ५० वर्ष से ५५ वर्ष की आयु के बीच वार्षिक समीक्षा वांछनीय नहीं है। यह इसलिए कि सम्बद्ध पदाधिकारी अगले ५ वर्षों के लिए सेवा सुरक्षा की भावना से कार्य कर सकें तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारी बिना किसी हिचकिचाहट के उनका नियन्त्रण एवं अनुशासन स्वीकार करें।

५. प्रत्येक सरकारी विभाग राजपत्रित पदाधिकारी के सम्बन्ध में तथा सभी विभागाध्यक्ष अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गई समीक्षा का प्रतिवेदन कार्मिक विभाग में संघटन एवं पद्धति शाखा को साल में दो बार, पहला १५ अप्रील तक (जनवरी की समीक्षा से सम्बन्धित) और दूसरा १५ अक्तूबर तक (जुलाई की समीक्षा से सम्बन्धित) निश्चित रूप से भेजेंगे।

६. कृपया इन अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाय। साथ ही अनुरोध है कि मार्गदर्शन तथा अनुपालन के लिए इससे सभी अधीनस्थ नियुक्ति पदाधिकारियों को अवगत करा दिया जाय।

७. कृपया इसकी प्राप्ति स्वीकार करें।

पी० के० जे० मेनन,
मुख्य सचिव।

बि० स० शा० मु० (पी० एण्ड ए०) ३ —५०० —११-५-१९७३ —न० प्रसाद।

बिहार सरकार,
कार्मिक विभाग।

ज्ञाप संख्या—का० १८६४०

पटना-१५, दिनांक २३ अग्रहण, १८९५ (स)
१४ दिसम्बर, १९७३।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रमुख सचिव / सरकार के सभी सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।

विषय :— बिहार सेवा संहिता के नियम ७४ (ख) के अधीन सरकारी सेवकों की अयोग्यता एवं भ्रष्टाचार के चलते सरकारी सेवा से अनिवार्य निवृत्ति।

उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के ज्ञाप संख्या-३/ आर-१-१०१/७३ का०—५९४२ दिनांक २०-४-७३ (प्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि उक्त परिपत्र में स्पष्ट अनुदेश है कि बिहार सेवा संहिता के नियम ७४ (ख) के अधीन लोकहित में ३० वर्ष की अर्हक सेवा अथवा ५० वर्ष की आयु प्राप्त सरकारी सेवकों की सेवा में बने रहने की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए वर्ष में दो बार उल्लिखित प्रक्रिया एवं मापदण्ड के आधार पर समीक्षा की जाय। इस संदर्भ में आपका ध्यान उपर्युक्त ज्ञाप की कंडिका-४ (v) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें उपबन्ध है कि जब एक बार किसी सरकारी सेवक को ५० वर्ष की आयु के बाद भी सेवा में बने रहने का निर्णय किया जाता है तब उन्हें बिना पुन: समीक्षा के ५५ वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने दिया जायगा।

२—चूँकि, सेवा निवृत्ति की आयु ५५ वर्ष से बढ़ा कर फिर ५८ वर्ष कर दी गई, अत: सरकार ने निर्णय लिया है कि विभिन्न राजकीय सेवाओं के राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा ५५ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एक बार फिर से उनके सेवा में बने रहने की उपयुक्तता की समीक्षा की जाय ताकि जो सरकारी सेवा में बने रहने के बिलकुल ही अयोग्य पाये जांय या जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का सन्देह हो अथवा जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो, आदि उन्हें तीन माह की नोटिस देने के पश्चात् अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कराया जा सके।

३—५५ वर्ष की आयु प्राप्त सभी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदाधिकारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में विहित समीक्षा प्रासंगिक परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया एवं माप-दंड को अपना कर की जायगी।

४—कृपया इन आदेशों का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन किया जाय। साथ ही अनुरोध है कि मार्ग दर्शन तथा अनुपालन के लिये इससे सभी अधीनस्थ नियुक्ति पदाधिकारियों को अवगत करा दिया जाय।

५—कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

(पी० के० जे० मेनन)

मुख्य सचिव।

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग

ज्ञाप संख्या—३ / आर० १-१८०।७३ का० ८२११ पटना-१५, दिनांक १९ वैशाख, १८९६ (स) ९ मई, १९७५।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रमुख सचिव,

सरकार के सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

विषय :—बिहार सेवा संहिता के नियम—७४ (ख) के अधीन सरकारी सेवकों की अयोग्यता एवं भ्रष्टाचार के चलते सरकारी सेवा से अनिवार्य निवृत्ति।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के ज्ञाप संख्या—का० १८६४० दिनांक १५-१२-७३ के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना है कि उपर्युक्त परिपत्र में सन्निहित उपबंधों के अनुसार ५५ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दुबारा समीक्षा के दौरान यदि किसी सरकारी पदाधिकारी को सेवा में बने रहने देने का निर्णय लिया जाता है तो उनके

संबंध में ५५ वर्ष से ५८ वर्ष की आयु के बीच वार्षिक समीक्षा वांछनीय नहीं है, किन्तु इसके लिये यदि विशेष कारण हों, यथा बाद में संबंधित पदाधिकारी के कार्य एवं आचरण में अथवा शारीरिक स्वास्थ्य में ह्रास, जिसके चलते समय से पूर्व उन्हें सेवा से निवृत्त कराना अभीष्ट हो तो ५५ वर्ष के बाद भी यह समीक्षा निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदंड को अपनाकर की जा सकती है।

२—कृपया इससे अधीनस्थ नियुक्ति पदाधिकारी को अवगत करा दिया जाय।

३—कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

(सी० आर० वेंकटरामन्)
सरकार के सचिव।

सं० ३/आर० 1-101/73-का० —19271

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

सेवा में,

सभी प्रमुख सचिव

सरकार के सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 25 अक्तूबर, 1975

विषय :— बिहार सेवा-संहिता के नियम 74 (ख) (ii) के अधीन 50 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सरकारी सेवकों की अनिवार्य सेवा-निवृत्ति।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के ज्ञाप संख्या 18640, दिनांक 14 दिसम्बर, 1973 के प्रसंग में अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि बिहार सेवा-संहिता के नियम 74 (ख) (ii) के अधीन तीन महीने नोटिस के बदले तीन महीने के वेतन एवं भत्ते के बराबर की रकम देकर राजपत्रित पदाधिकारियों/अराजपत्रित कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा-निवृत्त कराने संबंधित आदेश निर्गत करने के लिए विहित प्रपत्रों की प्रतियां भेजी जा रही हैं।

अनुरोध है कि सभी अधीनस्थ कार्यालयों को इससे अवगत करा दें।

सच्चिदानन्द सिन्हा
सरकार के संयुक्त सचिव।

(राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए)

आदेश ।

चूंकि श्री...(नाम, पदनाम और पदस्थापन का स्थान) ने पचास वर्ष की उम्र पूरी कर ली है ।

और चूंकि बिहार के राज्यपाल की राय में ऐसा करना लोक-हित में है;

इसलिए, अब, बिहार सेवा-संहिता के नियम 74 (ख) (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल इसके द्वारा अपेक्षा करते हैं कि उक्त श्री... (नाम और पदनाम).. (तारीख) के पूर्वाह्न से या उन पर यह नोटिस तामील होने की तारीख से, जो भी पहले हो, सेवा-निवृत्त हो जाएंगे और उन्हें तीन महीने की पूर्व नोटिस के बदले तीन महीने के वेतन और भत्तों के बराबर रकम दे दी जाएगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

हस्ताक्षर

(समुचित प्राधिकारी का पदनाम) ।

सेवा में,

श्री ....

....

पावती ।

मैं...सम्प्रति..पद का धारक, उपर्युक्त सेवा-निवृत्ति आदेश की मूल नोटिस की प्राप्ति स्वीकार करता हूं ।

हस्ताक्षर—

पदनाम—

स्थान—

तारीख—

बि० स० मु० (कार्मिक) 46 —मो० जी० —1,000—9-11-1975

श्री शरण सिंह,
मुख्य सचिव, बिहार

पटना-१५
दिनांक २७ अक्टूबर, १९७५।

गोपनीय

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग

अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या—३/आर १-१०१/७३ का०—१९२९३

विषय :— सरकारी सेवकों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति।

प्रिय श्री.... ....

बिहार सेवा संहिता के नियम ७४(ख) के अनुसार सरकारी सेवको की अनिवार्य सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में कई परिपत्र समय-समय पर निकाले गये हैं जिनके अनुसार ५०/५५ वर्ष आयु प्राप्त सरकारी सेवकों के सेवा में आगे बने रहने के सम्बन्ध में समीक्षा करके अनिवार्य सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में यथा समय विभागों को सरकार का निर्णय प्राप्त करना है। इस विषय पर मंत्रिपरिषद की "राजनीति एवं नियुक्ति स्थायी समिति" द्वारा २२-१०-७५ को विचार किया गया और नीति स्वरूप यह निर्णय हुआ कि ५० वर्ष की आयु से अधिक वाले जो सरकारी सेवक निलंबित हैं और जिन पर सत्यनिष्ठा, कदाचार एवं पक्षपात सम्बन्धी आरोप के लिये विभागीय कार्रवाई चल रही है और जहाँ प्राप्त सामग्री के आधार पर प्राईमाफेसी आरोप साबित होते हैं उन मामलों में उनकी विभागीय जाँच समाप्त कर उनकी सेवा निवृत्ति का प्रस्ताव सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया जाय।

२. सरकारी सेवकों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मामले पर विचार करते हुए समिति ने क्षोभ प्रकट किया कि कतिपय विभागों में के प्रमुख सचिवों ने इस कार्य में समुचित दिलचस्पी नहीं ली है जिसके चलते उनके विभाग का कोई भी मामला अथवा बहुत कम ही मामले का निष्पादन हो सका। अतः सरकार का आदेश है कि सभी विभागीय मामलों की पूरी समीक्षा ३०-११-७५ तक अवश्य समाप्त कर ली जाय और राजपत्रित पदाधिकारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की "राजनीति एवं नियुक्ति स्थायी समिति" के समक्ष लाये जायें। उसी प्रकार अराजपत्रित कर्मचारी के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव नियमानुकूल आदेश के लिये उपस्थापित किये जायें।

भवदीय,
ह०—शरण सिंह
(शरण सिंह)

सेवा में,

श्री.... ....
प्रमुख सचिव

ज्ञाप संख्या—३/आर १-१०१/७३ का०—१९२९३; पटना-१५, दिनांक २७ अक्टूबर, १९७५।

प्रतिलिपि— सभी सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव/विभागाध्यक्ष को आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित।

ह०—सच्चिदानन्द सिन्हा
संयुक्त सचिव

अवधेश

गोपनीय

शरण सिंह,
मुख्य सचिव, बिहार, पटना।

बिहार सरकार,
कार्मिक विभाग।

अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या ३/ आर १-१०१/७३ का० २०९४८ पटना-१५, दिनांक

विषय :— सरकारी सेवकों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति।

प्रिय श्री ....

इच्छानुसार उपर्युक्त विषयक अपने अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या १९२९३ दिनांक २७ अक्तूबर, १९७५ के क्रम में मुझे कहना है कि उक्त पत्र की कंडिका-१ में अंकित निर्णय के अनुसार कार्रवाई करते समय इस बात पर भी ध्यान रखा जाय, कि जिन पदाधिकारियों के विरुद्ध घुसखोरी, रुपयों के दुर्विनियोग, गबन; जालसाजी, जानबूझकर सरकार को क्षति पहुंचाना जैसे गंभीर आरोप हों, उनसे सम्बन्धित प्रत्येक मामले की समीक्षा कर सम्बद्ध विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि सम्बद्ध पदाधिकारी दंडित किये जाने के पात्र हैं अथवा नहीं। यदि विभाग का यह निर्णय हो कि सम्बद्ध पदाधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए तो वैसी स्थिति में विभागीय कार्यवाही जारी रहेगी तथा सम्बद्ध पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त नहीं कराया जाएगा।

भवदीय
शरण सिंह

सेवा में,

श्री ....
प्रमुख सचिव

ज्ञाप संख्या ३/ आर १-१०१/७३ का० २०९४८ पटना-१५, दिनांक २० नवम्बर, ७५।

प्रतिलिपि—सभी सचिव / अपर सचिव / विशेष सचिव / विभागाध्यक्ष को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित।

(सच्चिदानन्द सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

रजक/ १९/११

बिहार सरकार,
कार्मिक विभाग।

ज्ञाप संख्या ३/ आर १-१०१/७३ का० २२२८५ पटना-१५, दिनांक ६ दिसम्बर, ७५

सेवा में,

सरकार के सभी प्रमुख सचिव
सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।

विषय :— बिहार सेवा संहिता के नियम ७४ (ख) के अधीन ३० वर्ष की अर्हक सेवा अथवा ५० वर्ष की आयु प्राप्त सरकारी सेवकों की सेवा-निवृत्ति-प्रक्रिया एवं मापदण्ड।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि बिहार सेवा संहिता के नियम ७४ (ख) (ii) के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त कराने की शक्तियां नियुक्ति पदाधिकारी को प्रदत्त हैं। अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत ज्ञाप संख्या ३/आर-१-१०१/७३ का०-५९४२ दिनांक २० अप्रील, १९७३ की कंडिका ३ की उप कंडिका (iv) के स्थान पर निम्नांकित उप कंडिका प्रतिस्थापित की जाय :—

(IV) अराजपत्रित कर्मचारियों एवं ऐसे पदाधिकारियों जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं होती है, के सम्बन्ध में समीक्षा सम्बद्ध नियुक्ति प्राधिकारी अपने द्वारा गठित ऐसे पदाधिकारियों की समिति की सहायता से, जिन्हें वे उपयुक्त समझें, करेंगे और सुसंगत मामलों में स्वयं आदेश देकर इन कर्मचारियों/पदाधिकारियों को सरकारी सेवा से निवृत्त कर सकेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति अपना अभिवेदन अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश निर्गत होने की तिथि से एक महीने के अन्दर नियुक्ति प्राधिकारी के ठीक ऊपर के प्राधिकारी (next higher authority) को दे सकते हैं और उस अभिवेदन पर ऊपर के प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अन्तिम आदेश होगा। इस आदेश के विरुद्ध विभागाध्यक्ष या सरकार के समक्ष कोई अपील अनुमान्य नहीं होगी। उदाहरणार्थ जिला दण्डाधिकारी कई श्रेणियों के अराजपत्रित कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी हैं। वे ऐसे कर्मचारियों की समीक्षा के लिए जो समिति गठित करेंगे उसमें वे स्वयं, अपर समाहर्त्ता एवं जिला विकास पदाधिकारी रहेंगे। इसी प्रकार अधीक्षण अभियन्ता जिन अराजपत्रित कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी हैं, उन कर्मचारियों के लिए जो समिति गठित की जायगी उसमें उनके (अधीक्षण अभियन्ता के) अतिरिक्त दो ऐसे पदाधिकारी रहेंगे जो कार्यपालक अभियन्ता की पंक्ति के नीचे के न हों। ऐसे दो पदाधिकारियों का मनोनयन अधीक्षण अभियन्ता स्वयं करेंगे। पुनः उसी प्रकार उद्योग उप निदेशक जिन अराजपत्रित कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी हैं उन कर्मचारियों के लिए जो समीक्षा समिति गठित की जायगी उसमें उनके (उप निदेशक के) अतिरिक्त, जिला विकास पदाधिकारी एवं एक जिला उद्योग पदाधिकारी रहेंगे। जिला उद्योग पदाधिकारी का मनोनयन उद्योग उप निदेशक करेंगे। जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश के पुनर्विलोकन के लिए प्रमण्डलीय आयुक्त को, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा पारित आदेश के पुनर्विलोकन के लिए, यथा स्थिति, उप/अपर/मुख्य अभियन्ता को तथा उद्योग उप निदेशक द्वारा पारित आदेश के पुनर्विलोकन के लिए यथा स्थिति, संयुक्त/अपर उद्योग निदेशक को सम्बन्धित व्यक्ति अपना अभिवेदन दे सकेंगे। ऐसी ही व्यवस्था अन्य मामलों में भी की जायगी।"

२ — मार्ग-दर्शन एवं अनुपालन के लिए सभी अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों को इससे कृपया अवगत करा दिया जाय।

३ — कृपया इसकी प्राप्ति स्वीकार की जाय।

(सी० आर० वेंकटरामन)
सरकार के सचिव।

Part V—Concessions to Ex-servicemen.

Government of Bihar,

Appointment Department.

Resolution No. III/RI-602/66 A-14631.

Patna-15, the 7th/Asvina, 1889. (s),
29th September, 1967.

Subject :— Rehabilitation of Emergency Commissioned and Short Service Regular Commissioned Officers after their release from the Armed Forces.

Whereas a large number of persons had joined the Army Short Service Commission and Emergency Commission during the Emergency created by the Chinese agression and Pakistani attack, many of them of the age group 23 to 26 would on completion of their Commission, revert from Military Service and it would be necessary to provide these youngmen with suitable employment. These youngmen have forgone their chance of employment in civil posts by taking up Military Service during the period of "Emergency" and therefore, all attempts should be made to see that they are properly rehabilitated on completion of their Military Service.

2. The term "Military Service" has been used to mean enrolled or Commissioned Service in any of the three wings of the Indian Armed Forces including as a Warrent Officer rendered by any person during the "Emergency" created by the Chinese agression and Pakistani Conflict.